भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1530 का उत्तर

सीएसआर गतिविधियां

1530. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और भारतीय रेल की सहायक कंपनियों द्वारा जोन-वार और स्थान-वार शुरू की गई सीएसआर गतिविधियों का जोन-वार, स्थान-वार, वर्तमान स्थिति, आबंटित और प्रयुक्त निधि, कार्यान्वयन एजेंसी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान किसी न्यास और/अथवा गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से शुरू किए गए सीएसआर गतिविधियों का जोन-वार, स्थान-वार, वर्तमान स्थिति, आबंटित और प्रयुक्त निधि, कार्यान्वयन एजेंसी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्यमों/सहायक कम्पनियों/एनजीओ/न्यास द्वारा अपनी सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन में सामना की जाने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन उद्यमों और उनकी सहायक कंपनियों ने अपनी-अपनी सीएसआर कार्य योजनाओं का पालन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अपनी सीएसआर कार्य योजनाओं को पूरा न करने के लिए उनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

सीएसआर गतिविधियों के संबंध में दिनांक 04.12.2024. को लोक सभा में श्री जी. एम. हरीश बालयोगी और श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के अतारांकित प्रश्न सं. 1530 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पांच सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति, अथवा एक हजार करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार अथवा पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वित्त वर्ष में पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान उसके द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत समाज कल्याण परियोजनाओं पर व्यय करना होगा।

लोक उद्यम विभाग के 10 दिसंबर 2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों, जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का 60% व्यय किया जाना चाहिए, के लिए प्रत्येक वर्ष एक सामान्य विषयवस्तु थीम की पहचान की जानी अपेक्षित है। शेष व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अन्य क्रियाकलापों पर किया जा सकता है। मुख्यतः, स्थानीय क्षेत्रों की गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही, आकांक्षी जिलों को भी यथोचित प्राथमिकता दी जानी होती है।

पिछले 5 वर्षों की सामान्य विषयवस्तु इस प्रकार है:

वर्ष	विषयवस्तु
2020-21	'स्वास्थ्य और पोषण'
2021-22	'स्वास्थ्य और पोषण', अस्थायी अस्पताल और कोविड-देखभाल सुविधाएं स्थापित करने सहित कोविड संबंधी उपायों पर विशेष ध्यान सहित
2022-23	'स्वास्थ्य और पोषण'
2023-24	'स्वास्थ्य और पोषण'
2024-25	'स्वास्थ्य और पोषण' तथा 'प्रधानमंत्री प्रशिक्षुता योजना'।

रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों और उन पर किए गए व्यय की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनकी सहायक कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनकी सहायक कंपनियां अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति का भी पालन करते हैं, जिसमें निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य योजना का कार्यक्षेत्र, विजन, मिशन और अन्य मानदंड शामिल हैं।

****